राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

2006-2007

निदेशालय

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

प्रा क क थ न

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर द्वारा प्रति वर्ष की भांति 2006–2007 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एंव विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य में शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा में विभिन्न योजनाऐं चलाई जा रही है। ऐसी योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गयी है ।

आशा है विभागीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा योजनाकारों, शोधकर्ताओं एंव शैक्षिक प्रशासन में अभिरूचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों एंव संस्थाओं के लिए उपयोगी होगा। इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

स्थान : बीकानेर
दिनांक : 24.5.08

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य परिचय	01
2.	प्रशासनिक स्वरूप	01-04
3.	शैक्षिक प्रगति	04
4.	बालिका शिक्षा	04-05
5.	विभिन्न योजनाएं	05-09
6.	शारीरिक शिक्षा एंव सहशैक्षिक प्रवृत्तियां	09-10
7.	आय व्यय	10
8.	पेंशन स्थिरीकरण	10
9.	न्यायिक प्रकरण	11
10.	जांच प्रकरण	11
11.	सतर्कता	12
12.	विभागीय चयन समिति	12
13.	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	12-13
14.	हितकारी निधि	13
15.	छात्रवृतियां	13-14
16.	गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान	14
17.	शिक्षक दिवस समारोह	14
18.	पुस्तकालय (समाज शिक्षा)	14
19.	शिक्षक प्रशिक्षण	15
20.	विभागीय प्रकाशन	15-16
21.	भाषायी अल्पसंख्यक	16
22.	कम्प्यूटरीकरण	16
23.	विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण	17
24.	शिक्षा की प्रगति से संबंधित सारणियां	18-20

प्रकाशन से सम्बद्ध अधिकारी एवं कर्मचारी

सांख्यिकी अनुभाग

1. श्रीमती सुशीला रावत	उपनिदेशक (सांख्यिकी)
2. श्री रमेश कुमार व्यास	सांख्यिकी सहायक
3. श्री भंवर सिंह बीदावत	संगणक
4. श्री कन्हैयालाल किराडू	सहायक कर्मचारी

कम्प्यूटर अनुभाग

1. श्री ए. मुखर्जी	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर
2. श्री रूपकुमार शर्मा	वरिष्ठ लिपिक

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2006–2007

(1) सामान्य परिचय

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। शिक्षा को सुव्यवस्थित संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान, बीकानेर की स्थापना की गई। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथकीकरण किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28–11–1997 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एंव माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग अलग गठन किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पृथक विभागाध्यक्ष, आई.ए.एस. बनाये गये एंव 01–01–1998 से निदेशक प्रारंभिक शिक्षा के अधीन पृथक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर मुख्यालय पर कार्य प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2005 से निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के स्थान पर आयुक्त पद तथा वर्ष 2006 से माध्यमिक शिक्षा निदेशक के स्थान पर आयुक्त पद अपग्रेड किया गया तदुपरान्त दोनो निदेशालय, आयुक्तालय नाम से कार्यरत है ।

आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राज्य की समस्त प्राथमिक एंव उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, के अधीन राज्य की समस्त माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण एंव प्रशासन हैं । आयुक्त माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के नेतृत्व में आयुक्तालय स्तर पर संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी व प्रधानाचार्य समकक्ष अधिकारी तथा प्रत्येक मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) व प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शैक्षिक प्रबंध व प्रशासन का दायित्व निभाते है ।

राजस्थान राज्य में आलौच्य वर्ष में कुल 32 जिले है, जिनमें 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 5.65 करोड हैं । इनमें 2.94 करोड पुरूष एंव 2.71 करोड महिलाऐं हैं। वर्तमान में राज्य स्तर पर जनसंख्या धनत्व 165 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हैं ।

2001 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एंव उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 61.03 है, जिसमें पुरूषों का 76.46 एंव महिलाऐं 44.34 प्रतिशत हैं । 2001 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 55.92 प्रतिशत हैं । जिसमें 72.96 प्रतिशत पुरूष एंव 37.74 प्रतिशत महिलाऐं हैं । राजस्थान के शहरी क्षैत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 76.89 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष 78.50 एंव महिला 65.42 प्रतिशत साक्षर है। राज्य में वर्ष 1951 में साक्षरता दर 8.50 थी जो 2001 में बढकर 61.03 प्रतिशत हो गई इस प्रकार साक्षरता दर में सात गुणा से अधिक बढोतरी हुई है ।

(2) माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय का प्रशासनिक स्वरूप

वर्ष 2006–07 लगभग पूरे वर्ष में आयुक्त का पद रिक्त रहा है, कार्यभार आयुक्त, प्रारंभिक शिक्षा, बीकानेर के पास रहा है ।

2.1 आयुक्तालय स्तर

माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय मुख्यालय पर वर्ष 2006–2007 में प्रशासनिक स्वरूप निम्न प्रकार से है:–

1.	आयुक्त, आई.ए.एस.	01
2.	अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) आर.ए.एस.	01
3.	मुख्यलेखाधिकारी	01
4.	संयुक्त निदेशक	03
5.	उपनिदेशक (शिक्षा–4, सांख्यिकी–1, खेलकूद–1)	06
6.	जिला शिक्षा अधिकारी	04
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	01
8.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर	01
9.	लेखाधिकारी	02
10.	सहायक निदेशक	09
11.	सांख्यिकी अधिकारी	01
12.	सहायक लेखाधिकारी	07
13.	स्टाफ आफिसर	01
14.	सहायक विधि परामर्शदाता	01
15.	निजी सचिव	01

2.2 मंडल स्तर

माध्यमिक शिक्षा के कार्य एंव प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मंडल कार्यालय कार्यरत हैं । वे है :– 1. बीकानेर (मुख्यालय चूरू) 2. जोधपुर 3. जयपुर 4. अजमेर 5. उदयपुर 6. कोटा । इनके अधीनस्थ अपने परिक्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक बालक, बालिकाऐं शिक्षण संस्थाऐं हैं । मंडल कार्यालय तथा उनके अधिनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयों का विवरण इस प्रकार हैं :–

मंडल का नाम	अधीनस्थ जिशिअ (माध्यमिक) कार्यालय
1. बीकानेर–चूरू मंडल	बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ, झुंझुंनू
2. जोधपुर मंडल	जोधपुर, जैसलमैर, बाडमेर, पाली, जालौर, सिरोही
3. उदयपुर मंडल	उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाडा, चितौडगढ, राजसमंद
4. कोटा मंडल	कोटा, बून्दी, झालावाड, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर
5. अजमेर मंडल	अजमेर, भीलवाडा, नागौर, टौंक
6. जयपुर मंडल	जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, सीकर, धौलपुर

2.3 जिला स्तरीय प्रशासन

माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के अधीन मंडल स्तर पर उपनिदेशक (माध्यमिक) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) हैं । राज्य में 40 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय कार्यरत है । जिन 08 जिलों में माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक हैं, उन जिलों में दो दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय हैं । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक स्तर की बालक/बालिका विद्यालयों का नियंत्रण एंव प्रशासन की देख रेख करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कुल 40 पद है, इनमें से जिला अजमेर, नागौर, भीलवाडा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर में दो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम एंव द्वितीय के अलग अलग संचालित हैं। शेष 24 जिलों में प्रत्येक में एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय संचालित हैं ।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का मुख्य कार्य जिले की अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एंव सीनियर माध्यमिक शिक्षण संस्थानों से सम्पर्क बनाये रखना, निरीक्षण करना उनसे सूचनाएं एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, आयुक्तालय, क्षैत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना हैं । शैक्षिक संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी का ही हैं । इनके कार्य की मदद के लिए जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एंव उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत हैं ।

माध्यमिक शिक्षा विभाग का संगठनात्मक ढांचा

↓

शिक्षा मंत्री

↓

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा

↓

शासन सचिव, स्कूल शिक्षा

↓

आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा

↓

उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान — **राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय**

↓

उपनिदेशक (संभाग स्तर)

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (जिला स्तर)

↓

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय

(3) शैक्षिक प्रगति– माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक

- ❖ राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अथक सुनियोजित प्रयासो के परिणामों से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्वि हुई है । राज्य की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी जो बढकर वर्ष 2001 में 61. 03 प्रतिशत हो गई हैं। भारत वर्ष का साक्षरता प्रतिशत 65.38 है ।
- ❖ राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षैत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एंव विस्तार हुआ है। राज्य में वर्ष 2006–07 में संदर्भ तिथि 30–9–2006 के आधार पर राजकीय एंव गैर राजकीय 8261 (7792 छात्र एंव 469 छात्रा) माध्यमिक विद्याालय तथा 4430 सीनियर माध्यमिक विद्याालय (3864 छात्र एंव 566 छात्रा) संचालित है । प्रबंधानुसार 3788 राजकीय, 26 सहायता प्राप्त, 4447 असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्याालय है । इसी प्रकार 2534 राजकीय, 182 सहायता प्राप्त, 1714 असहायता प्राप्त सीनियर माध्यमिक विद्यालय हैं ।
- ❖ माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 15,78,396 है इनमें से 10,14,220 छात्र एंव 5,64,176 छात्रा है । सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 18,75,330 है। इनमे से 12,34,788 छात्र एंव 6,40,542 छात्रा है ।

- ❖ वर्ष 2006–07 में 06 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में तथा 06 माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किए गए।

(4) बालिका शिक्षा

- ❖ राज्य में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनके फलस्वरूप बालिका शिक्षा की अपेक्षाकृत वृद्वि हुई है । सन् 1951 में राज्य में महिलाओं की साक्षरता मात्र 2.51 प्रतिशत थी जो 2001 की जनगणना के अनुसार बढकर 44.34 प्रतिशत हो गयी हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 37.74 है, जबकि शहरी क्षेत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत 65.42 हैं । इस प्रकार गत दशक की तुलना में ग्रामीण क्षैत्र में महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत वृद्वि तीन गुणा से ज्यादा हुई है ।
- ❖ कक्षा 1 से स्नातकोत्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को शिक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है ।
- ❖ राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की समस्त बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई तथा कक्षा 9 से 12 तक अनुसूचित जाति/ जनजाति एंव अन्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर बालिकाओं हेतु बुक–बैंक योजना प्रारंभ की गई ।

- ❖ राजस्थान में 30–9–2006 की संदर्भ तिथि को बालिका शिक्षा के कुल 469 माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें राजकीय 373, सहायता प्राप्त 12 एवं असहायता प्राप्त 84 विद्यालय है । इसी प्रकार 566 बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय है, जिनमे से 433 राजकीय 55 सहायता प्राप्त, 78 असहायता प्राप्त विद्यालय है। राज्य में वर्ष 2006–07 में बालिका नामांकन स्तरानुसार (कक्षा 9 से 12) कुल 12,04,718 रहा ।
- ❖ शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों में महिलाओं हेतु बी.एड. एवं शिक्षा शास्त्री में कुल 32290 सीटो का आवंटन किया गया जिसमें 30890 बी.एड. तथा 1400 शिक्षा शास्त्री में सीटों का आवंटन किया गया ।
- ❖ राज्य की ग्रामीण क्षेत्रा की बालिकाओं को माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधाऐं उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग के सभी 6 संभागीय मुख्यालयों पर 50–50 की क्षमता के बालिका छात्रावास निर्मित है एंव 31 जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास स्थित है ।
- ❖ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा 10 परीक्षा में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली समस्त बालिकाओं को 2 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 1000/– की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 1997–98 से प्रारंभ की गयी । इस योजना के तहत सत्र 2006–07 में राज्य में 12,882 बालिकाओं को कुल 128.82 लाख रूपये की राशि का वितरण किया गया है ।
- ❖ राज्य में बालिका शिक्षा को बढावा देने हेतु बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की स्थापना वर्ष 1994–95 में की गई है । इस फाउण्डेशन के माध्यम से आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवारों की प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च एंव तकनीकी शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।
- ❖ राज्य सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुरूप ग्रामीण क्षैत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं हेतु राजस्थान रोडवेज बस द्वारा धर से विद्यालय जाने व आने की निःशुल्क बस पास सुविधा जनवरी, 2006 से प्रारंभ की गई । इस हेतु 04 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है ।

(5) <u>विभिन्न योजनाएं/कार्य</u>

5.1 निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण

राजकीय माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की अध्ययनरत समस्त वर्ग की छात्राओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र एंव शेष वर्ग के छात्रों को (बिना आयकरदाता के अभिभावक के बालको को) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें कें वितरण हेतु 11.02 करोड़ रूपये खर्च किये गये।

5.2 नागरिक अधिकार पत्र

राज्य सरकार की धोषित नीति के अनुसार शिक्षकों/कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करने हेतु स्वच्छ पारदर्शी, संवदेनशील एंव

उत्तरदायित्व पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था सुलभ करवाने के लिए विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है ।

5.3 विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना

विद्यार्थियो की आत्म सुरक्षा की भावना को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना 1996 से प्रारंभ की गयी। वर्ष 2000 सें राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए संचालित विद्यार्थी सुरक्षा दुर्धटना बीमा योजना की प्रीमियम को दुगुना करने का निर्णय लिया ताकि विद्यार्थी को मुआवजे की राशि 10 हजार रूपये के स्थान पर 20 हजार प्राप्त हो सके । वर्ष 2006–07 के प्रिमियम भुगतान हेतु 75.00 लाख रूपये का भुगतान राज्य बीमा एंव प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को किया गया ।

5.4 बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन योजना

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत व इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रा/छात्राओं के लिए विशेष शैक्षिक मार्ग दर्शन की व्यवस्था की गयी। इसके साथ साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्रा/छात्राओं के लिए शीतकालीन अवकाश के समय 07 दिवसीय जिला स्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाये गये !

5.5 आई.ए.एस.ई./सी.टी.ई.

केन्द्रीय प्रवृर्तित योजना के अंतर्गत दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है। राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर तथा अजमेर में संचालित है । 09 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन (सी.टी.ई.) क्रमशः जोधपुर, डबोक (उदयपुर), हटुन्डी (अजमेर), बग्गड (झुंझुंनू), संगरिया (हनुमानगढ), भुसावर (भरतपुर) उदयपुर सरदारशहर एंव जामडोली (जयपुर) में संचालित हैं ।

5.6 अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रो को प्रतिभा विकास योजना

यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार की सहायता के अंतर्गत वर्ष 87.88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आंकाक्षा रखने वाले माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एंव सांयकालीन विशेष कक्षाऐं लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह योजना राज्य के 03 विद्यालयों में संचालित है। ये तीन विद्यालय है :–

1. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, तोपदडा, अजमेर
2. राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुमानपुरा, कोटा
3. रा. गुरू गोंविद सिंह उ.मा.वि., उदयपुर

इन तीन विद्यालयों को अलग अलग जिले आवंटित है । वर्ष 2006–07 में तोपदडा, अजमेर में 32 कोटा में 26 तथा उदयपुर में 34 छात्रो को लाभन्वित किया गया ।

5.7 राष्ट्रीय सेवा योजना

माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के अन्तर्गत 10 जमा दो स्तर के विद्यालयों में वर्ष 1990 से यह योजना आरंभ की गई । यह योजना वर्तमान में 800 चयनित सीनियर माध्यमिक विद्यालयो में संचालित है । इस योजनान्तर्गत विशेष शिविर एंव एक एक दिवसीय शिविर के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है । राष्ट्रीय सेवा योजना के नियमित और विशेष कार्यक्रमों के मुख्यतः चार पक्ष है :–

1. संस्थागत कार्य

बाहरी कल्याणकारी संगठनों के साथ स्वंय सेवक के रूप में जुड़कर कार्य करना ।

2. संस्थागत परियोजना

विद्यालय व परिसर में सुधार लाना ।

3. ग्रामीण परियोजना

निरक्षरता का उन्मुलन करना, बचत के लिए प्रेरित करना, सड़को का सुधार व निर्माण, सफाई, वृक्षारोपण, परिवार कल्याण एंव समाजिक कुरीतियों की उन्मूलन करना ।

4. शहरी परियोजनाएँ

साक्षरता का प्रचार–प्रसार, गन्दी बस्तिओं में सफाई, अस्पताल में सेवा कार्य, उपभोक्ता संरक्षण कानून का प्रचार करना एंव अल्प बचत को बढावा ।

5. बजट

वर्ष 2006–07 में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कुल 2.17 लाख रूपये स्वीकृत है जिसमें राजस्थान सरकार का अंश 0.90 लाख रूपये है।

5.8 संत्राक

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अर्द्व वार्षिक परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के उदेश्य से कक्षा 10 व 12 के लिए सत्र 95.96 से संत्राक योजना लागू की गई । इस योजना के तहत उक्त कक्षाओं के छात्रों को अर्द्व वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांको के 10 प्रतिशत अंक बोर्ड की परीक्षा में शामिल किये जाते है । उक्त योजना को इस सत्र मे और

अधिक प्रभावी बनाया गया, जिससे बोर्ड को परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में वृद्वि हुई है ।

5.9 विद्यालय निरीक्षण

विद्यालयों के सुसंचालन एंव शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विद्यालयों का सतत मूल्यांकन एंव मार्गदर्शन आवश्यक है । इस हेतु विभाग द्वारा सत्र के आरंभ से ही सधन निरीक्षण के प्रयास किये गये जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । सत्र 2006–07 में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), मंडल अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा 5223 विद्यालयों का निरीक्षण किया गया है ।

5.10 भामाशाह सम्मान योजना

विद्यालय के भामाशाह योजना विभाग द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई। इस योजनान्तर्गत दानदाताओं से शाला के विकास हेतु योगदान प्राप्त करना तथा शाला परिवार से जुडकर निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना है । विभिन्न दानदाताओं (भामाशाहो) द्वारा निर्मित 21 माध्यमिक विद्यालयों भवनों को दान में एंव राज्याधीन लिया गया जिनकी कुल लागत 380.03 लाख है ।

5.11 गार्गी पुरस्कार योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थानकी कक्षा 10 में कुल 75 प्रतिशत व इससे अधिक प्राप्तांक वाली समस्त छात्राओं को 2 वर्ष तक कक्षा 11 एवं 12 में नियमित अध्ययन हेतु 1000/– रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्रा 1997–98 से आरंभ की गई । वर्ष 2006–07 में राज्य की 12,882 छात्राओं को कुल 128.82 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया ।

5.12 भवन निर्माण/मरम्मत

विद्यालयों एंव कार्यालयो के निर्माणाधीन भवनो एंव पुराने भवनो की मरम्मत हेतु विभाग द्वारा राजकीय 89 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय/कार्यालय भवन मरम्मत हेतु कुल 88.08 लाख रूपये व्यय किये गये ।

5.13 आश्रितों को नियुक्ति

वर्ष 2006–07 में मृत राज्य कर्मचारियों के 665 आश्रितों को नियुक्तियों की गई जिनमें से 366 कनिष्ट लिपिक व 299 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नियुक्ति प्रदान की गई ।

5.14 12वॉ वित्त आयोग

12वें वित्त आयोग के अंतर्गत 623.34 लाख रूपये के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये । राज्य सरकार द्वारा उक्त राशि की स्वीकृति सीधे ही सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के नाम जारी की गयी । इनके द्वारा राशि व्यय की गयी ।

5.15 मूक–बधिर भवन निर्माण

मूक–बधिर विद्यालय, बीकानेर के भवन एवं छात्रावास निर्माण 120 लाख रूपये व्यय किये गये ।

5.16 नाबार्ड योजना

नाबार्ड योजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो पर 2100.07 लाख रूपये व्यय किये गये । इस राशि से 457 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 564 पानी की टंकिया, 895 शौचालय एवं 463 रेम्प निर्माण के कार्य पूरे किये गये ।

5.17 कार्मिको को पुरस्कार

मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 15 कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।

(6) शारीरिक शिक्षा एवं सह–शैक्षिक प्रवृतियां

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों की प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताऐं आयोजित होती है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकरी (माध्यमिक) के तत्वाधान में एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित करवाई जाती है ।

सत्र 2006–07 में आयोजित 51वीं राज्य विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गयी । जिसमें माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर के छात्र–छात्राओं ने भाग लियां । राज्य स्तरीय प्रतियोगिता तीन समूह में आयोजित करवाई गई। पद तालिका निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खेल	आयु वर्ग	पदक			कुल
			स्वर्ण	रजत	कास्य	
1	एथेलेटिक्स	17 वर्ष छात्र, 19 वर्ष छात्रा	04	01	01	06
2	जिमनास्टिक	17 वर्ष छात्र	--	01	02	03
3	जुड़ो	17 वर्ष छात्र, 19 वर्ष छात्रा	04	--	05	09
4	सॉफटबाल	19 वर्ष छात्रा	--	--	01	01
5	कुश्ती	17 वर्ष छात्र	--	--	02	02
6	तींरदाजी	17 वर्ष छात्र, 19 वर्ष छात्रा	03	05	07	15
7	हैण्डबाल	19 वर्ष छात्र	--	--	01	01
8	बैडमिंटन	17 वर्ष छात्र	--	01	01	02

(7) आय व्यय

आयुक्तालय माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर का वर्ष 2006–07 का वित्तीय प्रगति विवरण निम्न प्रकार है:–

वित्तीय प्रगति वर्ष 2006–07

(राशि लाख में)

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय प्रावधान	वास्तविक व्यय
1	माध्यमिक शिक्षा :–		
	अ. आयोजना	2982.84	1994.60
	ब. आयोजना भिन्न	152641.41	157709.78
2	शारीरिक शिक्षा	10.00	6.18
3	कम्प्यूटराईजेशन	108.00	15.00
4	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1193.26	377.64

(8) पेंशन स्थिरीकरण

विभाग में सत्र 2006–07 में 2049 पेंशन प्रकरण निपटाये गये । शेष प्रकरणों को निष्पादन के लिये विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निपटाने की कार्यवाही शुरु कर दी गयी है। साथ ही 03 पेंशन अदालत प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

विभाग द्वारा सत्र 2006–07 में कुल 226 स्थिरीकरण प्रकरणों का निस्तारण किया गया ।

(9) न्यायालय प्रकरण

अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय में दायर वादों को निपटाने के लिये आयुक्तालय स्तर पर गठित विधि अनुभाग द्वारा राज्य सरकार की मदद से त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2006–07 में प्राप्त वाद एवं निपटाये गये वाद की स्थिति निम्न है:–

न्यायिक प्रकरणो की प्रगति स्थिति की सूचना

न्यायालय का नाम	31 मार्च, 2006 तक बकाया प्रकरण	4/2006 से 3/2007 तक नवीन प्राप्त प्रकरण	4/2006 से 3/2007 तक निर्णित प्रकरण	3/2007 को विचाराधीन प्रकरण
उच्चतम न्यायालय	48	00	08	40
उच्च न्यायालय, जोधपुर/ जयपुर	3968	608	651	3925
सिविल सेवा अपील अधिकरण	975	211	263	923
राज. शैक्षिक अधिकरण (गैर सरकारी संस्थाऐं)	1339	175	767	747
अधिनस्थ न्यायालय	797	192	201	788
योग	**7130**	**1190**	**1895**	**6429**

(10) जांच प्रकरण

(अ) विभागीय जांच प्रकरण

प्रकरण	01–4–06 को बकाया प्रकरण	अप्रेल,06 से मार्च,07 तक प्राप्त प्रकरण	योग	वर्ष 06–07 को निर्णित प्रकरण	विचाराधीन प्रकरण
सी.सी.ए.–16	261	49	310	19	291
सी.सी.ए.–17	1557	28	1585	211	1374
निलम्बन	46	40	86	11	75
प्राथमिक जांच	683	264	947	99	848

(ब) आंतरिक जांच दल

आंतरिक जांच दलो द्वारा विद्यालयों एंव कार्यालयों की समय समय पर विशेष जांच कार्य सम्पन्न किया एंव आडिट प्रतिवेदनों की अनुपालना करने हेतु आयुक्तालय स्तर से बकाया प्रकरणों को निपटाने का विशेष अभियान चलाया गया जिसमें 9297 आक्षेप निरस्त करवाए गये ।

(11) सतर्कता

विभाग द्वारा वर्ष के दौरान परिवादों के निस्तारण का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	परिवाद विवरण	बकाया	नये प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
1	आर.पी.जी.	16	00	16	4	12
2	जन अभाव अभियोग निराकरण समिति	62	123	185	49	136
3	लोकायुक्त	08	00	08	00	08
4	ए.सी.बी.	42	09	51	10	41
5	मुख्य मंत्री कार्यालय	23	43	66	20	46
6	सूचना का अधिकार	38	89	127	80	47

(12) विभागीय चयन समिति

सत्र 2006–07 तक डी.पी.सी. की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	संवर्ग	डी.पी.सी. वर्ष
1	अपर–निदेशक / समकक्ष	2006 - 07
2	संयुक्त निदेशक / समकक्ष	2006 – 07
3	उपनिदेशक / समकक्ष	2006 – 07
4	जि.शि.अ. / समकक्ष	2006 – 07
5	प्रधानाचार्य / समकक्ष	2000 - 01
6	वरि.उप जि.शि.अ.	1999 - 00
7	प्रधानाध्यापक	2002 - 03

व्याख्याता (पुरूष)		
1	रसायन	2002 - 03
2	वाणिज्य	99-2000 to 2001-02
3	पंजाबी	2002 - 03
4	राजस्थानी	2004 – 05
5	लोक प्रशासन	2003-04, 2005-06

व्याख्याता (महिला)		
1	संस्कृत	2002 - 03
2	रसायन	2001 - 02
3	वाणिज्य	2002 - 03

1	कार्यालय अधीक्षक	2004-05, 2005-06

(13) राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान प्रतिवर्ष डा. राधाकृष्ण के जन्म दिवस 05 सितम्बर से झंडियों की बिक्री का शुभारंभ कर शिक्षकों की सहायतार्थ राशि

एकत्रित करता है । इस राशि से शिक्षकों के निधन पर रूपये 5000 व व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षक के पुत्र/पुत्री को अध्ययनार्थ प्रतिवर्ष 15000 रूपये की आर्थिक सहायता देता है। वर्ष 2006–07 में दी गई सहायता का विवरण निम्न प्रकार से है :–

विवरण	राशी	प्रकरण
1. शिक्षको के निधन पर उनके आश्रितों को सहायता	5,07,000	102
2. शिक्षकों को भ्रमण सुविधा	76,816	17

(14) हितकारी निधि

इस योजना का संचालन आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा गठित समिति द्वारा आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में ही किया जाता है । राज्य कर्मचारियों से वार्षिक अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी माह में किया जाता है, लिये जाने का प्रावधान है । प्राप्त राशि से ही राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों तथा स्वंय की बीमारी पर कर्मचारियों एंव परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी पर सहायता दी जाती है । प्राप्त अंशदान के आधार पर ही सहायता राशि में बढोतरी भी होती रहती हैं । इस योजना में कर्मचारी के निधन पर रूपये 7000/– तथा बीमारी पर 5000/– रू. व दुर्धटना में मृत्यु पर 10,000/– रू. की सहायता दी जाती है । वर्ष 2006–07 में निम्न प्रकार सहायता दी गई :–

1. निधन पर आश्रितों को सहायता	134 प्रकरण	9,07,900
2. बीमारी पर सहायता	35 प्रकरण	1,59,000
3. व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत सहायता	90	1,68,400

15. छात्रवृति की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2006–07 में व्यय राशि एंव लाभान्वित विद्यार्थियो का विवरण निम्न है :–

छात्रवृति योजना नाम	व्यय (लाखो में)	लाभान्विति की संख्या
1. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	838.45	291246
2. अनु. जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	602.58	198930
3. अनु. जाति उत्तर मॅट्रिक छात्रवृति	409.45	51432
4. अनु. जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति	421.80	54453
5. अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवार के बच्चो को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	31.95	3208
6. ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति	11.85	3208
7. पूर्व सैनिको की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति	00.72	72
8. अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति योजना	00.26	242

9. मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को	00.10	69
10. कारगिल युद्ध मे शहीद सैनिकों के बच्चो को छात्रवृति	06.14	341
11. अन्य पिछड़ी जाति के बच्चो को पूर्व मैट्रिक	86.01	44946
12. 1.4.99 से पूर्व हुए शहीद के बच्चें को छात्रवृति	01.80	100

(16) गैर राजकीय संस्थाओं को अनुदान

अनुदान प्राप्त संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों एंव अनुदान प्रतिशत के आधार पर बजट अनुमान प्रस्तावित किया जाता है इस अनुमान में वेतन भत्तो, कार्यालय एंव अन्य व्यय की गणना की जाती है । वर्ष 2006–07 में आयोजना भिन्न मद में विभिन्न संस्थाओं का अनुदान दिया गया जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	संस्था स्तर	व्यय राशि (लाखों में)
1.	भारतीय लोक कला मंडल	23.33
2.	माध्यमिक विद्यालय	4496.22
3.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	
4.	छात्रावास	
5.	केन्द्रीय कार्यालय	
6.	शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय	88.00

(17) शिक्षक दिवस समारोह

05 सितम्बर, 2006 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षैत्रा में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एंव विशिष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत किया गया । वर्ष 2006 में 59 शिक्षकों को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया । यह पुरस्कार महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा दिया जाता है ।

(18) पुस्तकालय (समाज शिक्षा)

केन्द्रीय क्रय योजनान्तर्गत वर्ष 2006–07 में विद्यालयी पुस्तकालयों हेतु आयुक्तालय स्तर पर गठित समिति द्वारा 6.75 लाख रूपये की पुस्तकों का चयन किया गया एंव शिक्षा मंत्री स्वविवेक कोष के अंतर्गत 1.60 लाख रूपये की पुस्तके क्रय की गयी ।

(19) शिक्षक प्रशिक्षण

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन करवाने हेतु शिक्षकों को तैयार करने के लिए राजस्थान में कुल 286 राजकीय/गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। जिनमें केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत दो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा नौ शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय है । इनमें स्नातकों व अधिस्नातकों को प्री.बी.एड. टेस्ट में मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रदान किया जाता है । इसमें प्रशिक्षण की अवधि एक शिक्षण सत्र की होती है। इनमें सह–शिक्षा व्यवस्था है। महिलाओं एंव पुरूषो के लिए पृथक–प्रथक महाविद्यालय भी है ।

32290 प्रशिक्षणार्थियों को प्रवेश हेतु विभिन्न महाविद्यालयों में आवंटन किया गया है । बी.एड. के 30890 प्रशिक्षणार्थियों में 15060 पुरुष महाविद्यालय में व 15830 महिला महाविद्यालयों में है। शिक्षा शास्त्री के पाठ्यक्रम में 880 पुरुष महाविद्यालयों में व 520 महिला महाविद्यालयों में है । अनुसूचित जाति हेतु 300 एंव अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के लिए 400 सीटस का विशेष आवंटन है जो कि उक्त 32290 में सम्मिलित है ।

शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम

राज्य में शारीरिक शिक्षा के क्षैत्रा में सत्र 2002–03 में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है । सत्रा 2006–07 में बी.पी.एड. पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से चालू सत्र हेतु 700 सीटों पर प्रवेश दिया गया । राज्य में राजकीय क्षैत्र में केवल एक तथा 09 गैर राजकीय क्षैत्र में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय संचालित हो रहे है ।

(20) विभागीय प्रकाशन

माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय के प्रकाशन विभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एंव शिक्षा निर्णायक मुद्दो पर विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरा पत्रिका प्रकाशित की जाती है । शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 45वां वर्ष हैं । शिविरा को राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशो में भी अपनी विशिष्ठ पहचान है । वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 25,000 है । शिक्षक दिवस प्रकाशन योजनान्तर्गत निम्न पॉच पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

क्र.सं.	विषय	पुस्तक का नाम
1	हिन्दी विविधा	सृजन सप्तक
2	कविता	लहर पर लहर
3	राजस्थानी विविधा	ऊजली ओलख
4	शिक्षा साहित्य	शिक्षा के सरोकार : कुछ नवीन संदर्भ
5	बाल साहित्य	बगिया के फूल

इसके अलावा "नया–शिक्षक" त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या 15,000 है ।

(21) भाषायी अल्पसंख्यक

भारतीय संविधान की धारा 350(क) के अंतर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने का स्पष्ट प्रावधान है । राजस्थान में उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंव गुजराती इन चारों अल्पसंख्यक भाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी है ।

राज्य की माध्यमिक एंव उच्च माध्यमिक स्तर पर इच्छुक छात्रों को उनकी अल्पभाषा तृतीय भाषा, ऐच्छिक विषय पढने की सुविधा प्रदान की गयी है। इन विद्यालयों में एक कक्षा में अल्पभाषी छात्रों की संख्या 15 या पूरे विद्यालय में 60 छात्र अल्पभाषा अध्ययन करना चाहते है, तो यह सुविधा प्रदान करायी जावेगी ।

राज्य में भाषायी अल्प संख्यक भाषाओं के अध्ययन हेतु निम्न राजकीय विद्यालय संचालित हैं:–

विद्यालय	भाषायी अल्प संख्यक भाषाओं के संचालित विद्यालयों की संख्या			
	उर्दू	सिंधी	गुजराती	पंजाबी
माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	363	25	9	67

(22) कम्प्यूटरीकरण

माध्यमिक शिक्षा आयुक्तालय में त्वरित गति से कार्य सम्पादन हेतु कम्प्यूटर अनुभाग स्थापित है । एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) इसके प्रभारी है । I.C.T. Enablement/Backend कम्प्यूटराईजेशन कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक कम्प्यूटीकरण का कार्य जारी है । इसके अतिरिक्त वेबसाईट अपडेशन भी किया जा रहा है ।

(23) विशिष्ठ शैक्षिक अभिकरण

शिक्षा के क्षैत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ठ संस्थान भी कार्यरत है:–

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
2. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर

3. संस्कृत शिक्षा आयुक्तालय, जयपुर

4. राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर

5. बालिका शिक्षा फाऊण्डेशन, जयपुर

6. भारत स्काउट एवं गाइड, जयपुर

7. छः अकादमियां

1. राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर
2. राजस्थान सिन्धी अकादमी, जयपुर
3. राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर
4. राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर
5. राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर
6. राजस्थान भाषा, साहित्य एंव संस्कृति अकादमी बीकानेर

8. भाषा एंव पुस्तकालय विभाग, जयपुर

शिक्षा की प्रगति से संबंधित तालिकाएं वर्ष 2006–07

सारणी संख्या–1 (30–9–2006)

राज्य में प्रबन्धानुसार शिक्षण संस्थाएं :–

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	3415	373	3788	2101	433	2534
अनुदान प्राप्त	14	12	26	127	55	182
असहायता प्राप्त	4363	84	4447	1636	78	1714
योग	**7792**	**469**	**8261**	**3864**	**566**	**4430**

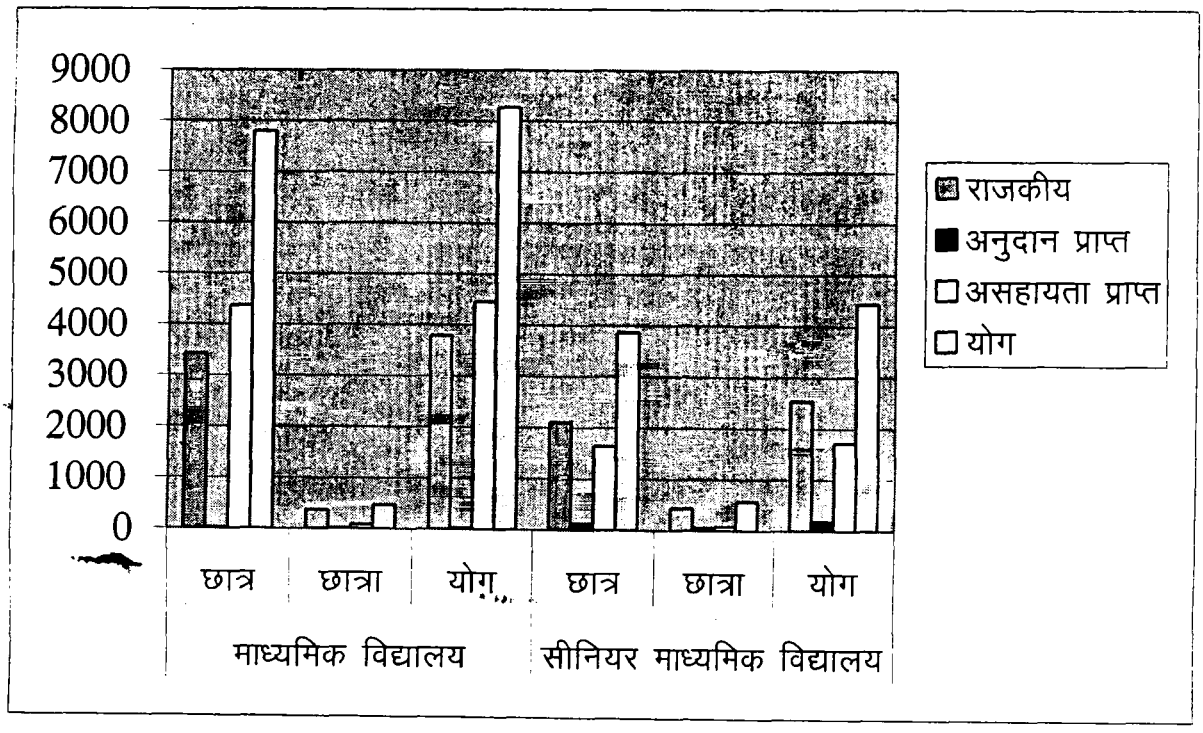

सारणी संख्या–2 (30–9–2006)

राज्य में प्रबन्धानुसार नामांकन :–

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	499540	326855	826395	715949	38229	1098178
अनुदान प्राप्त	4102	4477	8579	64782	45513	110295
असहायता प्राप्त	510568	232844	743412	454035	212814	666849
योग	**1014220**	**564176**	**1578396**	**1234788**	**640542**	**1875330**

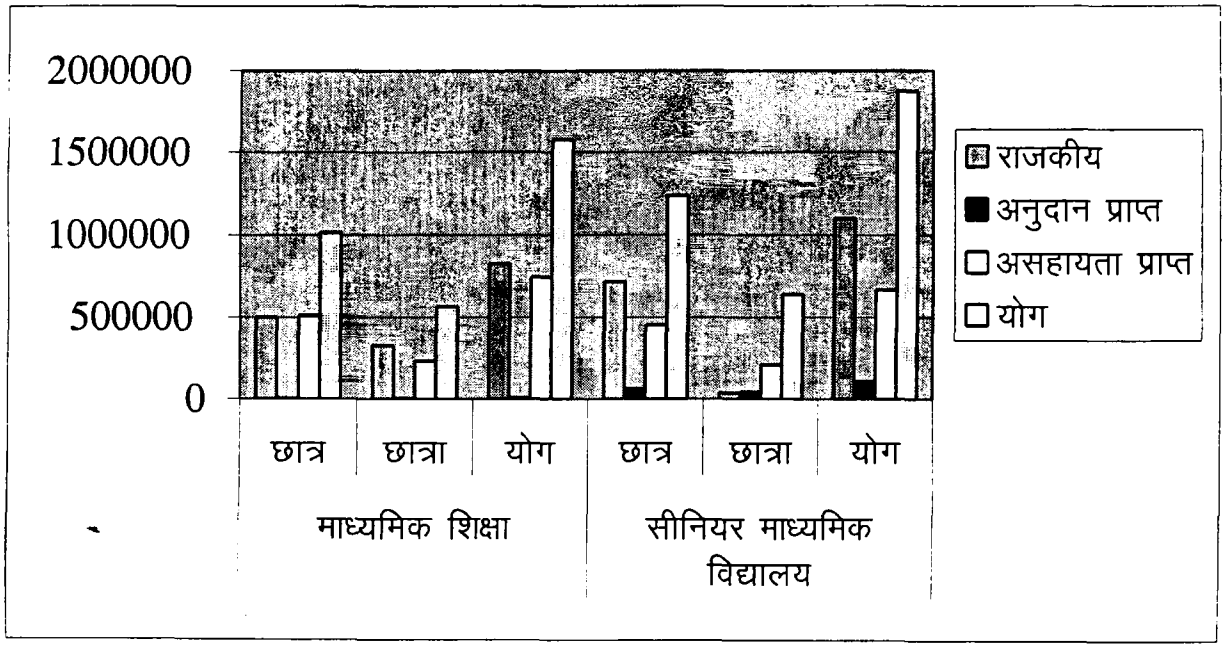

सारणी संख्या–3 (30–9–2006)

राज्य में प्रबन्धानुसार अध्यापक :–

प्रबन्ध	माध्यमिक शिक्षा			सीनियर माध्यमिक शिक्षा		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
राजकीय	19901	4867	24768	28144	8994	37138
अनुदान प्राप्त	69	137	206	1895	1636	3531
असहायता प्राप्त	32912	13080	45992	18221	9704	27925
योग	**52882**	**18084**	**70966**	**48260**	**20334**	**68594**